न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2024/130

अपील संख्या – 78/24

जुबेर खान पुत्र जमालुद्दीन निवासी नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. जमीला बानो पुत्री नामालूम पत्नि इशाक निवासी नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
   जकीना पुत्र नामालूम पत्नि अशफाक निवासी नविया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी
   लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 33/24 निर्णय दिनांक 5.8.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री नरेन्द्र वर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री मोहम्मद इस्लाम

दिनांक 27.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 5.8.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 आपस मे भाई बहन है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जमालुद्दीन पुत्र नबीवक्श जाति मुसलमान निवासी नबिया का बाढ तहसील गंगापुर सिटी की खातेदारी भूमि हाल ख0न0 37 रकबा 0.55 है0 , ख0न0 42 रकबा 2.57 है0 ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/3, 1/3 है। प्रार्थीगण अपनी ससुराल ग्राम नबिया का बाढ मे निवास करती है तथा वाप के मरने के बाद से ही अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 चालाक किस्म का व्यक्ति है उसने बिना प्रार्थीगण की जानकारी के सरपंच ग्राम पंचायत बाढकलां से मिलकर प्रार्थीगण के पिता के मरने के बाद विरासत का नामा0 संख्या 49 दौराने राजस्व अभियान दिनांक 30.5.2000 को अपने नाम करवा लिया। जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। संरपंच ग्राम पंचायत बाढकलां भी यह अच्छी तरह से जानता था कि मृतक जमालुद्दीन पुत्र नबीवक्श की दो पुत्रियो की शादी नबिया का बाढ मे हुई है तथा नबिया के बाढ मे ही निवास कर रही है। इसके बाबजूद विरासत को अकेले अप्रार्थी संख्या 1 का ही नाम दर्ज करवा दिया । जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 19. 4.24 को भूमि को विक्रय करने की धमकी दी गई । तब प्रार्थीगण ने दिनांक 23.5.24 को जमाबंदी की नकल तहसील से निकलवाई तब उन्हे जानकारी हुई कि समस्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपने नाम दर्ज करवा लिया है। इसके बाद प्रार्थीगण पटवारी के पास गई एवं नामा0 की नकल प्राप्त की जब उनको जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत रूप से भूमि अपने नाम करवा ली है। दिनांक 21.4.24 को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि भूमि उसने अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा ली है इसलिए वह भूमि को दीगर व्यक्तियो को विक्रय करेगा। इसलिए प्रार्थीगण को यह द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 अपनी बेजा हरकतो से जब तक बाज नही आवेगा जब कि कि उसे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही कर दिया जावेगा कि वह प्रार्थीगण की भूमि को दीगर जगह रहन बेचान नही करे तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल नही करे। अप्रार्थीगण को इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 37 रकबा 0.55 है0 व ख0न0 42 रकबा 2.57 है0 ग्राम बाढखुर्द के हिस्सा 2/3 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की माने मजाहमत नही करे उक्त भूमि को गलत इन्द्राज की आड मे दीगर व्यक्यियो को रहन बय नही करे। तथा भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल नही करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की पैतृक खातेदारी भूमि हाल ख0न0 37 रकबा 0.55 है0 तथा ख0न0 42 रकबा 2.57 है0 ग्राम बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी रही है। अपीलार्थी के पिता जमालुद्वीन की मृत्यु साल 1995 मे होने के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे अपीलार्थी के नाम जरिये विरासत के नामा0 से दर्ज की गई। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात से अपीलांट उक्त आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि से अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई सबंध नही है। अपीलार्थी के पिता जमालुद्वीन की वर्ष 1995 मे होने एवं उनके अपीलार्थी एक मात्र संतान होने के आधार पर उक्त भूमि का नामा0 विरासत का अपीलार्थी के नाम खोला गया है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा गलत रूप से जमालुद्वीन की पुत्रियां होने का दावा करते हुए अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज खातेदारी भूमि मे हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक वाद उनवानी जमीला बनाम जुबेर एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा 30/23 अधिनस्थ न्यायालय मे पेश किया था। जिसमे लगातार दिनांक 11.7.23 से 29.5.24 तक तारीख तकरीबन होती रही और प्रत्येक तारीख पर आर्डरशीट भी मेन्टेन की गई है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा न0 30/23 मे तारीख पेशी दिनांक 19.4.24 को अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया और प्रकरण मे जबाब टी आई मे तारीख 8.5.24 नियत की गई। इसके पश्चात रेस्पो0 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

चालाकी पूर्वक विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 30/23 के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 23.4.24 को एक नवीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी जमीला बनाम जुबेर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। और उसी दिवस दिनांक 23.4.24 को विधि विरूद्ध तरीके से अपीलार्थी के विरूद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई। रेस्पो० द्वारा नवीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु०न० 33/24 के ना तो नोटिस ही अपीलार्थी को भिजवाये ना ही नवीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु०न० 33/24 पर अपीलार्थी को सुना गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेस्पो० द्वारा पूर्व प्रकरण मे प्रस्तुत टी आई के विचाराधीन रहते हुए द्वितीय प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार मेन्टेबल नही है। ऐसे किसी भी प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश विधिक रूप से से मेन्टेबल नही होने से प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० द्वारा प्रकरण स्वयं को स्व०जमालुद्दीन की पुत्रियां दर्शाते हुए पेश किया गया है जबकि वास्तव मे रेस्पो० जमालुद्दीन की वैध पुत्रियां ही नही है। ऐसा कोई रिकार्ड उनके द्वारा पेश नही किया गया है जिससे वे जमालुद्दीन की पुत्रियां होना सिद्ध कर सके। अपीलांट एवं रेस्पो० का कोई संबंध नही है। आपस मे अपीलांट एवं रेस्पो० भाई बहिन नही है। इस महत्वपूर्ण तथ्य की पुष्टि के लिए रेस्पो० द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नही किया गया है। इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। इस कारण आलौच्य आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश से संबंधित प्रकरण मे अपीलार्थी को कोई नोटिस तामील नही कराये है ना ही अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते समय अपीलार्थी को सुना गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.7.24 को प्रथमं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु०न० 30/23 के विचारण रहते हुए द्वितीय प्रार्थना पत्र 33/24 पर बहस सुन आलोच्य आदेश दिनांक 5.8.24 पारित कर मिन अपीलार्थी की भूमि ख०न० 37 रकबा 0.55 है० तथा ख०न० 42 रकबा 2.57 है० स्थित ग्राम बाढखुर्द जिसका अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है उसे पाबन्द किया गया है कि वह स्वयं की उपरोक्त वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से की भूमि के रिकार्ड की स्थिति कायम बनाये रखे , अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णत विधि विरूद्व तरीके से आलोच्य आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रर्थम प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए उसी आराजीयात बाबत कोई दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है। द्वितीय प्रार्थना पत्र जब प्रस्तुत किया जा सकता है जब पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षम न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण तरीके से निस्तारण किया जा चुका हो और परिस्थितिया असामान्य रूप से परिवर्तित होने के कारण द्वितीय प्रार्थना पत्र पेा किया जाना अपरिहार्य हो गया हो, हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो० द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग का कानून को स्वयं के अनुरूप लागू कर पूर्णतः विधि विरूद्व तरीके से न्यायिक आदेश दिनांक 5.8.24 को स्वयं के पक्ष मे पारित करवाया गया है। हस्तगत प्रकरण मे द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु०न० 30/23 के दिनांक 29.7.24 के विचाराधीन रहते हुए द्वितीय प्रार्थना पत्र 33/24 पर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी वहस मे तर्क दिया कि रेस्पो/प्रार्थीयां जमालुद्दीन पुत्र नबीवक्श की जायज पुत्रियां होने के कारण जमालुद्दीन की खातेदारी की आराजीयात ख0न0 37 रकबा 0.55 है0 एवं ख0न0 42 रकबा 2.57 है0 मे 1/3, 1/3 हिस्से की हकदार है। अपीलांट द्वारा अपने पिता जमालुद्दीन की उक्त आराजीयात का गलत रूप से सरपंच ग्राम पंचायत बाढखुर्द तहसील गंगापुर सिटी से मिलकर गलत रूप से नामा0 संख्या 49 दिनांक 30.5.2000 को दर्ज करवा लिया गया था। जबकि सरपंच को इस वात का पता था कि मृतक जमालुद्दीन पुत्र नबीवक्श की रेस्पो/प्रार्थीयांन जायज पुत्रियां है जो कि ग्राम नवियां का बाढ मे शादी के पश्चात निवासी करती है। परन्तु अपीलांट द्वारा नाजायज रूप से रेस्पो/प्रार्थीयां की विना जानकारी के ही उक्त आराजीयात का नामा0 गलत रूप से अपने नाम दर्ज कराया गया है। उक्त गलत इन्द्राज की आड मे अपीलांट उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पाबन्द कराने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि एक टी आई प्रार्थना पत्र पूर्व से विचाराधीन रहते हुए दूसरी टी आई प्रस्तुत करना विधि के विपरीत है। इस संबंध मे कानून मे स्पष्ट उल्लेख है कि यदि कॉल आफ एक्शन अलग अलग हो तो दूसरी टी आई प्रस्तुत की जा सकती है। वादग्रस्त आराजीयात के हक हकूक दावे मे तय किये जावेगे। दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। यदि दावे के निस्तारण से पूर्व विवादित आराजीयात का बेचान हो जाता है तो वाद वाहुलता को बढावा मिलता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किये जाने के उपरान्त विवादित आराजीयात मे रेस्पो0 का 1/8, 1/8 हिस्से की प्रथम दृष्टया अधिकारिता मानते हुए ही रेस्पो0 के हिस्से 1/8, 1/8 (कुल 1/4) हिस्से तक की आराजीयात के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो विधि के प्रावधानो के तहत ही जारी की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो एवं कानूनी नजीरो का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ख0न0 37 रकबा 0.55 है0 एवं ख0न0 42 रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम बाढखुर्द मे स्थित है। जो कि वर्तमान जमाबंदी मे अप्रार्थी/अपीलांट जुबेर खां की खातेदारी मे दर्ज है जो कि उसके पिता जमालुद्दीन की विरासत से नामा0 संख्या 49 के माध्यम से दर्ज हुई है इससे पूर्व भूमि जुबेर खां के पिता जमालुद्दीन की खातेदारी मे दर्ज रही है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार कार्ड जो कि प्रार्थीयां जमीला एवं जकीना के है जिसमे पिता का नाम जमालुद्दीन दर्ज है इसी प्रकार पत्रावली मे उपलब्ध पंचायत समिति सदस्य वार्ड न0 8 ग्राम पंचायत बाढकलां के द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे भी जमालुद्दीन की तीन संतोने [illegible] जमीला एवं जखीना का होना अंकित किया है एवं छाया प्रति वोटर लिस्ट मे भी रेस्पो0 [illegible] के पिता का नाम जमालुद्दीन अंकित है। भूमि के हक एवं अधिकार दावे मे तय किये जाना शेष है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(1/8)

उक्त आराजीगात मे से प्रार्थीयान का हिस्सा 1/8, 1/8 यानि 1/4 हिस्से तक के लिए रहन,बय नही करने तथा मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने हेतु अपीलांट को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अधिनस्थ अतः अपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 33/24 मे पारित निर्णय दिनांक 5.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:45:00 IST
Reason: SelfAttested